

सूचना विवरणिका

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021

(शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में **उत्तराखण्ड राज्य कोटे की सीटों** में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा)



आयोजक

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून,
पिन- 248001 उत्तराखण्ड, भारत

हैल्पलाईन नम्बर 8006516772 / 6396666140

वेबसाईट : www.hnbumu.ac.in, ई-मेल : uknursingpara@gmail.com

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 से सम्बन्धित
निर्धारित तिथियाँ

(1)	ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	13.11.2021 (अपरान्हं 02:00 बजे) से 11.11.2021 (साय 05:00 बजे तक)
(2)	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र/ ऑनलाईन शुल्क के माध्यम से	
(3)	प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि	14.11.2021 को अपरान्ह: 01:00 बजे से
(4)	परीक्षा की तिथि	21.11.2021 (रविवार) 02:30 बजे से 04:30 बजे तक

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विवरण
1	प्रस्तावना
2	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के सन्दर्भ में नियम व शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश
3	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु अर्हतायें
4	आरक्षण सम्बन्धी नियम
5	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 का कार्यक्रम
6	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 परीक्षा केन्द्र
7	प्रवेश पत्र
8	अनुचित साधनों का प्रयोग
9	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा
10	काउन्सिलिंग सम्बन्धी सूचना
11	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के लिए उपलब्ध सीटों/कॉलेजों का विवरण
12	न्यायिक विवाद

1- प्रस्तावना:— शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों (बी0एस0सी0 एम0एल0टी0 / बी0एम0आर0टी0 / बी0एस–सी0 आप्टोमेट्री बी0एस–सी0 मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी / बी0पी0टी0 / बी0ओ0टी0टी0(ओ0टी0 टैक्नीशीयन) तथा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी (डी0एम0एल0 टी0) / डिप्लोमा इन एक्स रे टैक्नीशीयन(डी0एम0एल0 टी0) / डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री (डी0एम0एल0 टी0) एम0एस–सी0 एम0एल0टी, एम0पी0टी0 तथा की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा **उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2021 का आयोजन दिनांक 21.11.2021 को निर्धारित समयावधि में देहरादून, श्रीनगर (गढ़वाल), नई टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार,, उत्तकाशी, एवं अल्मोडा** स्थित परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा। परन्तु कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुये लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का होगा। जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को केवल विश्वविद्यालय की बैवसाईट के माध्यम से ही अपलोड कर सूचित की जायेगी।

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2021 का आयोजन शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु किया जायेगा:–

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2021 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2021–22 में पैरामेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों पर शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2021 की मैरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से नियमानुसार सीट आवंटन किया जायेगा।

2. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2021 हेतु नियम , शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस सूचना विवरणिका का भली-भांति अध्ययन कर लें। आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। सूचना विवरणिका के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों (आरक्षण संबंधी एवं अन्य) एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मान्य होंगे।
- 2.2 प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः online होगी। इसमें सभी वांछित सूचनाएँ यथा स्थान त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी भी दशा में जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 2.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पत्राचार का पूरा पता, मोबाइल नम्बर, ई–मेल पता online आवेदन पत्र में दिये गये निश्चित स्थान पर पूर्ण एवं सही-सही भरें।
- 2.4 Online आवेदन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत एक मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो) की स्वसत्यापित छायाप्रति अपलोड की जानी अनिवार्य होगी
- 2.5 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2021 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों लिए शुल्क प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 1500.00 (रूपया एक हजार पाँच सौ मात्र) आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।
- 2.6 काउन्सिलिंग के समय सम्बन्धित वांछित प्रमाण-पत्रों (यथा शैक्षणिक/जाति/उपजाति/पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) की जानाकारी यथा स्थान पर भरनी अनिवार्य होगी।

- 2.7 अभ्यर्थी को आवेदन-पत्रों में उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 की प्रवेश परीक्षा में मांगी/भरी गई श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी, परन्तु काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के द्वारा भरी गयी सूचना के आधार प्रमाण-पत्रों का अवलोकन/सत्यापन कर यह निर्धारित किया जाएगा कि वह उसके द्वारा आवेदित आरक्षित श्रेणी का लाभ दिये जाने हेतु पात्र है अथवा नहीं। इस विषय पर काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। केवल इस आधार पर कि उसे पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 में बैठने की अनुमति दे दी गयी थी, कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं हो पाएगा।
- 2.8 यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम की आनलाईन काउन्सिलिंग में भरी गयी सूचना एवं परीक्षा केन्द्र में, कोई भी परिवर्तन चाहता है तो अभ्यर्थी को पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही, संशोधन हेतु रुपया- 200/- (रुपया दो सौ) Online माध्यम से संशोधन करने हेतु, अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रुपया 200/- (रुपया दो सौ) देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही पूर्ण रूप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2.9 यदि कोई अभ्यर्थी काउंसिलिंग बोर्ड के अवलोकनार्थ निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत वांछित अभिलेख की सूचना नहीं भरी जाती है तो उसे उस काउंसिलिंग में कथित लाभ अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु यदि अगले चरण काउंसिलिंग होती है तो उस स्थिति में ऐसा अभ्यर्थी उस काउंसिलिंग में वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु इस स्थिति में उसे उस समय उपलब्ध सीटों में से ही नियमानुसार आवंटन किया जायेगा।
- 2.10 एक बार आवेदन करने के पश्चात् श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.11 अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की printed copy अपने पास भविष्य में प्रयोग के लिए अवश्य रखे। भविष्य में पत्र-व्यवहार हेतु आवेदन-पत्र के क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
- 2.12 ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) जो परीक्षा के समय दी जायेगी, उसमें (Black) काले बॉल प्वाइन्ट पेन (Ball-point Pen) का ही प्रयोग करें।
- 2.13 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा आरम्भ होने से 45 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में अवश्य उपस्थित हो जाये, ताकि ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) पर वांछित विवरण ठीक प्रकार से भर सकें। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा।
- 2.14 किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 2.15 वह अभ्यर्थी जिनकी अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से काउन्सिलिंग तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वे किसी भी स्थिति में आवंटन/प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे। जो अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या अन्तिम परीक्षा परिणाम के लिये प्रतीक्षारत हैं, वे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- 2.16 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 में मात्र सम्मिलित होने से ही अभ्यर्थी का पैरामेडिकल की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियमों के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 2.17 अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के आवेदन पत्र में दी गयी कोई भी सूचना यदि गलत पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश पा लिया गया हो तो भी उसका प्रवेश तत्काल निरस्त माना जाएगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- 2.18 वे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं है फिर भी सम्मिलित होते हैं, वे उक्त परिस्थिति में किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये पात्रता की शर्तों को पहले से ही स्वयं सुनिश्चित कर लें।

- 2.19** ऐसा कोई भी अभ्यर्थी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 की प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन किया है तथा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो उसका जमा परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्षों के किसी भी उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 2.20** पुरुष अभ्यर्थियों के बांये हाथ एवं महिला अभ्यर्थियों के दाये हाथ के अंगूठे के निशान प्रवेश परीक्षा देते समय संबंधित परीक्षा केन्द्र पर लिये जायेंगे।
- 2.21** परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त सभी सेटों की उत्तर कुंजी (**Answer key**) विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in के माध्यम से परीक्षा उपरान्त अपलोड की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी कतिपय प्रश्न/प्रश्नों के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड कराई गई उत्तर कुंजी के सही उत्तर विकल्प/विकल्पों से संतुष्ट नहीं है और यदि प्रश्न के उत्तर को चुनौती देना चाहता है, तो उसे उत्तर कुंजी अपलोड करने के तीन दिन के भीतर प्रति प्रश्न रु0 200.00 के दर से कुल धनराशि केवल आन-लाईन आधार पर बैवसाईट पर इस हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से जमा करनी अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त यदि अपलोड उत्तर कुंजी में वास्तव में उत्तर भिन्न है तो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को उस प्रश्न की निर्धारित राशि अर्थात् रु0 200.00 प्रति प्रश्न वापस लौटा दी जायेगी। और यदि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर कुंजी के अनुसार ही उत्तर सही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी। उक्त समय सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2.22** यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट में उसके नाम के सम्मुख उल्लिखित अंक से संतुष्ट नहीं हो और वह इस चुनौती देना चाहता है तो उसे विश्वविद्यालय की बैवसाईट में परीक्षा परीणाम घोषित हो जाने की तिथि से 05 दिनों के भीतर आवेदन कर अपने ओ0एम0आर0 का **Manual Assessment** करा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को शुल्क स्वरुप रु0 2000.00 की धनराशि केवल आन-लाईन आधार पर बैवसाईट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जमा करनी अनिवार्य होगी। उक्त समय सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि संबंधित अभ्यर्थी के **manual assessment** में विश्वविद्यालय स्तर से कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो इस पर सुधार हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित **evaluation committee** को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिया जाएगा तथा **evaluation committee** की संस्तुति पर तदनुसार अद्यतन मेरिट सूची जारी की जायेगी और संबंधित अभ्यर्थी को उनके द्वारा पूर्व में जमा कराये गये रु0 2000.00 की राशि लौटा दी जायेगी। यदि उस अभ्यर्थी का अंक परिणाम पूर्ववत् ही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
- 2.23** उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी अनैतिक तरीके को इस्तेमाल करते हुये पाया गया तो उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त समझा जायेगा। साथ ही उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा न्यायिक प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
- 2.24** आवेदन पत्र में लिखी या दी गई किसी भ्रामक गलत तथा तथ्यों से परे सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त (जैसी भी स्थिति हो) अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित पैरामेडिकल कालेज के प्राचार्य तथा इससे पूर्व परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था/विश्वविद्यालय अथवा काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी।

- 2.25 परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाइल फोन आदि) लाना वर्जित हैं।
- 2.26 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 प्रवेश परीक्षा की सूचना विवरणिका में टंकित किसी भी सूचना/नियम/ अर्हता/कार्यवाही में किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की गयी व्याख्या ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगी।
- 2.27 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 प्रवेश परीक्षा एवं काउन्सिलिंग सम्बन्धी अभिलेख परीक्षा की तिथि से केवल एक वर्ष के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे।
- 2.28 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय/ पैरामेडिकल काउंसिल, देहरादून द्वारा निर्धारित अद्यतन अर्हतायें लागू होंगी।
- 2.29 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको सूचना विवरणिका (Brochure 2021) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।
- 2.30 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के सम्बन्ध में अभ्यर्थी अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी बैवसाईट पर दिये गये हैल्पलाईन नम्बर 8006516772/06396666140 से किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताएं होगीं-

3.1 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

3.2 आयु सीमा

पैरामेडिकल परीक्षा के अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 17 वर्ष दिनांक 31.12.2021 को पूर्ण होनी आवश्यक है।

3.3 शैक्षणिक अर्हताएं :-

● पैरामेडिकल (बी0एस-सी0 स्नातक पाठ्यक्रम) -

- उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी/गणित) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी/गणित) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो, डीप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो, एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हों।

अथवा

- ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी नहीं हैं तथा जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी/गणित) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी/गणित) में औसत 45 प्रतिशत अंकों

(न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो, परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे, परन्तु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे,

डीप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो, एवं अग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हों।

अथवा

- उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई एक अथवा दोनों उत्तराखण्ड राज्य के बाहर(अन्य राज्य) स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी/गणित) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी/गणित) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो,

डीप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो, एवं अग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हों।

पैरामेडिकल (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) –

● एम0एस-सी एम0एल0टी0 पाठ्यक्रम हेतु –

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से बी0एस0सी0 एम0एल0टी0 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत औसत अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है,

अथवा

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से बी0एस0सी0 एम0एल0टी0 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत औसत अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है,

अथवा

- ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई/मूल निवासी नहीं हैं तथा जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से बी0एस0सी0 एम0एल0टी0 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत औसत अंकों से उत्तीर्ण की हो, परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे। परन्तु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे।

● एम0पी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु –

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से बी0वी0टी0 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत औसत अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है,

अथवा

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से बी0पी0टी0 की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत औसत अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी है,

अथवा

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई/मूल निवासी नहीं हैं तथा जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से बी०पी०टी० की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत औसत अंकों से उत्तीर्ण की हो, परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे। परन्तु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे।
 - अर्हकारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5 प्रतिशत की छूट होगी।
 - 3.4 अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष भर में केवल एक ही बार होगा।
 - 3.5 अभ्यर्थी चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए।
 - 3.6 उत्तराखण्ड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य ओपन स्कूल अथवा एन०आई०ओ०एस० (National Institute of Open School) से 10+2 परीक्षा विज्ञान विषय में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी बी०एस०सी० पैरामेडिकल हेतु अर्ह होंगे। वर्षों की वे परीक्षा हेतु उपरोक्तानुसार अन्य आवश्यक अर्हताएँ पूर्ण करते हों।
 - 3.7 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार किसी पाठ्यक्रम की अर्हता परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हुआ हो, तो वह भी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न कर पाने की दशा में उसका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। यह प्राविधान/शर्त उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों में आवेदन करने हेतु लागू होगी।
 - 3.8 विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकानुसार एक ही प्रश्न पत्र होगा तथा परीक्षा भी एक ही होगी। उक्त एकल प्रवेश परीक्षा के प्राप्तकों के आधार पर ही पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की एक ही वरीयता सूची बनाई जाएगी। काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी विषयवार पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विकल्प का चयन कर सकता है। काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा काउन्सिलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट, अर्हता एवं चयनित विकल्पों के आधार पर उसकी मेरिट पर उपलब्ध सीटों में से नियमानुसार सीट आवंटन किया जायेगा।
 - 3.9 विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/उत्तराखण्ड राज्य पैरामेडिकल काउन्सिल/उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित अद्यतन अर्हताएं मान्य/परिवर्तनीय होंगी।
- 4. आरक्षण सम्बन्धी नियम**
- 4.1 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के माध्यम से उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
 - 4.2 किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउंसिलिंग तक मान्य प्रमाण पत्र की सूचना यथा स्थान भरनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
 - 4.3 ओ०बी०सी० जाति का प्रमाण पत्र इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा काउंसिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ०बी०सी०)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ०बी०सी० जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की

मान्यता/वैधता (validity) को भली-भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओबीसी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

- 4.4 उत्तराखण्ड प्री एनएम/जीएनएम प्रवेश परीक्षा-2021 में उपरोक्तानुसार श्रेणी/उपश्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की दशा में रिक्त रहने पर अंतिम (द्वितीय) चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएंगी।
- 4.5 राजकीय/ निजी क्षेत्र में स्थित पैरामेडिकल कालेजों की उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों में आरक्षित सीटों का विवरण काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 4.6 शासनादेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (कॅ) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- 4.7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2020-21 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 4.7 प्रत्येक संस्थान में राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की चार प्रतिशत सीटें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगी। यह आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा। उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 में विकलांग अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित किये जाने के निम्नानुसार मानक होंगे।
4% Disability reservation to be considered with a disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity and other eligibility criteria with regard to age and qualification will be same as prescribed for each nursing programme.
- उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा इस हेतु गठित विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र उन्हें काउंसिलिंग के दौरान ऑनलाईन आवेदन करते समय यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। तभी उन्हें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध सीट आवंटन की कार्यवाही हेतु अर्ह माना जाएगा।
 - अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत उसी सीमा तक मान्य होगा, जो इस हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
 - उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के चन्दर नगर, देहरादून स्थित कार्यालय में बैठेगा। उक्त मेडिकल बोर्ड के गठन संबंधी तिथि एवं समय की सूचना पृथक से काउंसिलिंग हेतु जारी महत्वपूर्ण निर्देशों के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर काउंसिलिंग के समय जारी की जाएगी।
 - उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - अतः इच्छुक विकलांग अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

द्वारा गठित उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख कॉउन्सिलिंग के समय निर्धारित तिथि/समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं इस प्रमाण पत्र को कॉउन्सिलिंग के दौरान ऑनलाईन आवेदन करते समय यथा स्थान अनिवार्य रूप से अपलोड भी करें।

5. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 का कार्यक्रम:-

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम।(बी0एस-सी0 स्नातक पाठ्यक्रम)

<u>दिनांक एवं दिन</u>	<u>समय</u>	<u>प्रश्न-पत्र</u>	<u>प्रश्नों की संख्या</u>
<u>21.11.2021 रविवार</u>	<u>02:30 बजे से 04:30 बजे तक</u>	<u>इण्टरमीडिएट (10+2) स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित (भौतिकी 25 रसायन .25 जीवविज्ञान/ गणित-50)</u> <u>नोट:- प्रवेश परीक्षा-2021 अभ्यर्थी को गणित एवं जीवविज्ञान में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। भौतिकी एवं रसायन अनिवार्य विषय होंगे।</u>	<u>100</u>

पैरामेडिकल (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) -

एम0एस-सी (एम0एल0टी0) /एम0पी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु

<u>दिनांक एवं दिन</u>	<u>समय</u>	<u>प्रश्न-पत्र</u>	<u>प्रश्नों की संख्या</u>
<u>21.11.2021 रविवार</u>	<u>02:30 बजे से 04:30 बजे तक</u>	<u>संबंधित विषय में स्नातक स्तर के 100 प्रश्न होंगे</u>	<u>100</u>

- विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उपरोक्त विषयों में एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जायगी।
- पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे जिसमें पैरामेडिकल के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान स्तर (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान), पाठ्यक्रम स्तर पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1.0 अंक होगा और पूर्णांक अंक 100 होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 घण्टों का होगा।
- विषय के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे। प्रश्न-पत्र में 100 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होंगे जिनका एक ही सर्वउपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होंगे तथा गलत/उत्तर नही देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।

- प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाये जायेंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी।
- उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के परीक्षण मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप में मान्य होंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन केवल कम्प्यूटर द्वारा होगा और इसमें त्रुटि की कोई सम्भावना नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विषेश परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिकाओं का **manual assessment** उपरोक्त प्रवेश विवरणिका के बिन्दु संख्या- 2.21 में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।
- परीक्षा कार्य[म अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोशित हो जाए।
- परीक्षा सलिल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाईल फोन आदि) लाना वर्जित है।
- सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना सीन अवष्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर-पुस्तिका में आवष्यक सूचना प्रश्न-पत्र पुरु होने से पूर्व भर सकें।
- प्रश्न-पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्ष निरीक्षक द्वारा इसकी घोशणा की जाए।
- किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको विवरणिका पुस्तिका (Brochure 2021) की समस्त षर्तें व नियम स्वीकार्य हो।

6. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 का परीक्षा केन्द्र :-

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 की लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :-

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा केन्द्र कोड
देहरादून	1
श्रीनगर (गढ़वाल)	2
नई टिहरी	3
गोपेश्वर	4
हरिद्वार	5
हल्द्वानी	6
पिथौरागढ़	7
अल्मोड़ा	8
उत्तरकाशी	9

परन्तु विश्वविद्यालय को न्यूनतम छात्र संख्या की आवश्यकतानुसार उक्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने/घटाने एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रत्येक अभ्यर्थी को आन-लाईन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उपरोक्त में से न्यूनतम तीन परीक्षा केन्द्रों का अपनी च्वाइस के क्रम में विकल्प भरना अनिवार्य होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्रों को बदलने का अभ्यर्थी को अधिकार नहीं होगा।

अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार भरी गयी परीक्षा केन्द्रों की च्वाइस में से किसी एक परीक्षा केन्द्र का विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा

केन्द्र पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायगी। एक बार आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. प्रवेश पत्र

प्रवेश पत्र (Admit Card) सभी अभ्यर्थी दिनांक 14.11.2021 अपराह्न 02:00 बजे से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने के समय अवश्य साथ लेकर आये तथा अभ्यर्थी यह प्रवेश पत्र तब तक सुरक्षित रखें जब तक प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होकर संपन्न न हो जाए। साथ ही अभ्यर्थी **online** आवेदन करते समय अंकित किया गया मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड सम्पूर्ण परीक्षा पूर्ण होने तक सुरक्षित रखें। साथ ही प्रवेश परीक्षा देते समय परीक्षा केन्द्र में आनलाईन अपलोड किये गये **फोटो पहचान पत्र (आई0डी0)** की मूल प्रति भी अनिवार्य रूप से साथ लायें।

8. अनुचित साधनों का प्रयोग (Unfair means)

प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर, चाहे उसका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को बिना किसी लिखित सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय/विभाग/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

9. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा

9.1 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में अपलोड कर घोषित किया जाएगा। साथ ही परीक्षाफल घोषित होने की सूचना भी प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत परीक्षाफल (स्कोर कार्ड) उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को पृथक से स्कोर कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो आवश्यक संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में अपलोड किया जाएगा। यदि इसके अलावा कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप से प्रकाशित करता है एवं उसमें कोई गलतियां रह जाती हैं और वह समाचार पत्र इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता तो इसके लिए परीक्षा आयोजित कराने वाली विश्वविद्यालय अथवा उत्तराखण्ड सरकार किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे व इसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

9.2 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 की मेरिट के आधार पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आवंटन राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की जन्मतिथि के आधार पर मेरिट क्रम निर्धारित की जाएगी।

इसके उपरांत भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों के नामों की अग्रेजी वर्णमाला के क्रम से मेरिट निर्धारित की जाएगी।

- 9.3 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय पैरामेडिकल काउन्सिल/उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित मानक मान्य होंगे

काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचना

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

- 10.1 विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 की काउंसिलिंग प्रक्रिया online माध्यम से कराई जाएगी। काउंसिलिंग की प्रक्रिया, तिथियाँ, समय एवं काउंसिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ /महत्वपूर्ण निर्देश समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में पृथक से प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी।
- 10.2 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2020 प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर निर्धारित नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- 10.3 केवल उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का राज्य कोटों की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियम काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 10.4 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित समय-सीमा में Online काउंसिलिंग धनराशि रू0 1500/- (रूपया एक हजार पाँच सौ मात्र) Online के माध्यम से पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी ही काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जाएंगे। पंजीकरण शुल्क Non-Refundable होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया काउंसिलिंग पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
- 10.5 यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसिलिंग में धनराशि रू0 1500/- देकर अपना पंजीकरण करवा चुका है और वह द्वितीय काउंसिलिंग में भी सम्मिलित होना चाहता है तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा।
- 10.6 काउंसिलिंग के विभिन्न चरणों तथा प्रतिभाग करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें तथा अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण पृथक से वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 10.7 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 परीक्षा के माध्यम से काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होंगे तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 काउंसिलिंग [बोर्ड/उत्तराखण्ड](#) शासन के पास सुरक्षित होगा।

10.8 काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचनाएं समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

11 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र में स्थापित पैरामेडिकल कालेजों की सूची/पाठ्यक्रम तथा उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों की संख्या :-

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	पाठ्यक्रम	राज्य कोटे की सीटों की संख्या
1	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून	बी0एस-सी0 एम0एल0टी0 बी0एस-सी0 टी0टी0 बी0एम0आर0आई0टी0	30 15 15
2	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल	बी0एस-सी0 एम0एल0टी0 बी0एस-सी0 टी0टी0 बी0एम0आर0आई0टी0	30 30 30
3	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	बी0एस-सी0 एम0एल0टी0 बी0एस-सी0 टी0टी0 बी0एम0आर0आई0टी0	30 30 30
4	प0 ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश (स्वायत्तशासी महाविद्यालय)	बी0एस-सी0 एम0एल0टी0	30
5	राज्य स्थिति निजी पैरामेडिकल संस्थान	विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु

उपरोक्त तालिका में वर्णित सीटों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है तथा इन्हें काउन्सिलिंग के समय अधिसूचित किया जायेगा।

- उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी पैरामेडिकल संस्थानों/सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं तथा विश्वविद्यालय/पैरामेडिकल की कालेज विशेष के बारे में अधुनान्त निर्देशों पर भी निर्भर करेगी।
- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) कमी, बढ़ोतरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- उपरोक्त सीटों के विवरण में सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप उपरोक्त सभी शिक्षण संस्थानों में शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा काउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- उक्त संस्थाओं में प्रवेश का निर्णय काउंसिलिंग की तिथि तक भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन/आई0एन0सी0/उत्तराखण्ड नर्सिंग काउन्सिल/राज्य स्तरीय पैरामेडिकल की अनुमति की स्थिति पर निर्भर करेगा।

- संस्थान विशेष की पाठ्यक्रमवार शुल्क तथा अन्य विवरण जैसे परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस इत्यादि काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराए जाएंगे। उपरोक्त विषय मे उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

12 न्यायिक विवाद :-

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा-2021 परीक्षा एवं प्रवेश से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड न्यायालय के अधीन होंगे।

=Disclaimer=

- Instances of provision of incorrect information detected at any stage of the selection process will automatically disqualify the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear for **Uttarakhand Paramedical Entrance Examination-2021** in future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected in subsequent years, such disqualification will take place with retrospective effect and the Principal/Dean of the concerned college/ institute shall have the authority to cancel admission of the candidate and to proceed with legal action against him/her as all the information/ documents furnished by the candidate will be scrutinized /verified by competent authorities, after admission in the concerned college/institute.
- The statement made in information bulletin and all information contained herein are believed to be correct at the time of publication /uploading in the website. However, the University/ Uttarakhand Government reserve the right to make any change without notice, changes and additions to the regulations/conditions governing the admission procedure, conduct of students, requirements for degree, fees and any other information, or statements contained in this information bulletin at any time. University/ Uttarakhand Government will not be responsible for hardship or expense incurred by the candidates or any other person or persons for such changes, additions, omissions or errors, no matter how they are caused.
- In case of any ambiguity in interpretation of any the instructions /terms /rules/criteria regarding counseling, the interpretation of the Counseling Board shall be final and binding.
- In view of COVID -19, the latest information and procedure of Entrance exam/counselling will be uploaded on University website on the basis of directions/advisories received from Govt. of India/ Govt of Uttarakhand/ INC/ SNC/Counseling board from time to time. The latest directions uploaded on the website by UK State Nursing counselling board will only be applicable and will replace any such condition/term/rules mentioned in the information bulletin. The decision taken by UK State Nursing counselling board in view of COVID -19 related to procedure of Entrance Exam/counselling will be applicable at all time. Hence candidates are advised to visit the university website regularly for any update. No separate information will be sent to the candidate